फारम सं0-563

आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

श्री शम्भु ठाकुर पिता स्व0 साधुचरण ठाकुर, निवास स्थान मौजा-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-93, प्लॉट संख्या-2259, रकवा-0.0366 एकड़ (तीन दशमलव छःछः डिसमिल) भूमि श्री जितेन्द्र महतो पिता चेतलाल महतो, निवास स्थान ग्राम-खेदाडीह, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON21013459 प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-254/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2870/रा0 दिनांक 31.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 617 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप प्राप्त हुआ है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अ0पि0व0 के अन्तर्गत है एवं जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत रामरतन हजाम वगै0 हैं। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित भूमि का कुल रकवा 0.69 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-77/III पर रामरतन हजाम, साधुचरण हजाम, मसो0 सोबानी, सरोजनी दयादर के नाम से जमाबंदी है। लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2019-20 तक निर्गत् है। रकवा 0.69 एकड़ भूमि संयुक्त खाते की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.6534 एकड़ भूमि बचेगी। भूमि बिक्री के पश्चात् भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक आपसी बँटवारा के अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि बिक्री करना चाहते हैं। भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दखल में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी त
1	2	

प्रतिवेदन के साथ प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा संलग्न किया गया है, जिसमें आवेदित भूमि को नारंगी रंग से दर्शाया गया है एवं भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अभिलेख के साथ विक्रेता शम्भु ठाकुर का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र JHRC/2018/951738 दिनांक 26.10.2018, अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन जाति प्रमाण-पत्र JHCC/2018/1146759 दिनांक 26.10.2018 एवं क्रेता जितेन्द्र महतो का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र JHRC/2017/316349 दिनांक 27.03.2017, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन जाति प्रमाण-पत्र JHCC/2017/00474 दिनांक 12.01.2017 की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग, अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र / जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री शम्भु ठाकुर पिता स्व0 साधुचरण ठाकुर, निवास स्थान मौजा-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-93, प्लॉट संख्या-2259, रकवा-0.0366 एकड़ (तीन दशमलव छःछः डिसमिल) भूमि श्री जितेन्द्र महतो पिता चेतलाल महतो, निवास स्थान ग्राम-खेदाडीह, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

05/09/22

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.08 17:48:53 +05:30
Location: 192.168.0.117

05/09/22

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।